न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज

मुकदमा नं. 30/2019 तारीख दायर 26.6.19

सरकार बनाम मनोज पुत्र बाबू लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

:– निर्णय –: दिनांक 11.10.19

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल के अभिभाषक उपस्थित । मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि है कि मनोज पुत्र बाबू लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. ने ग्राम सिंघाना के ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म ,बारानी –2, , ख0न0 305 रकबा 0.22 हैक्टेयर गै.मु. सडक में से 0.05 हे0 भूमि पर मकान, चार दीवारी, चबूतरा बनाकर अनाधिकृत अतिकमण कर रखा है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित आया।

अतिकमी की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया जिसमें अतिकमी ने अपने जबाब नोटिस में यह कथन किया गया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम सिंघाना की सघन आबादी की भूमि है। उक्त भूमि पटटा धारक रामजी लाल को ग्राम पंचायत से आबादी का दिनांक 28.8.1962 का पटटा जारी किया गया था। रामजी लाल की मृत्यू हो जाने पर उनके वारिसान गोपाल गिरधर, विनित कुमार, कृष्णा देवी, मनोज,मनीस कुमार से श्रीमती मजू शर्मा पत्नी विष्णु शर्मा निवासी सिंघाना द्वारा दिनांक 14.07.2018 को खरीद की गई थी तथा जबाबदाता ने मंजू शर्मा से यह भूमि 177 वर्गमीटर दिनांक 14.10.2018 को खरीद की गई थी। उस समय इस भूमि में निर्माण किया हुआ था। इस भूमि पर ग्राम पंचायत को पंचायत राज. नियम 1996 के नियम 140 के तहत उसी का क्षेत्राधिकार बनता है गैर सायल को धारा 91 के तहत गलत व विधि विरूद्व नोटिस जारी किया गया है। गैरसायल की ओर से अपने जबाब में अतिकमी होने से इन्कार किया है। धारा 91 के तहत कार्यवाही को ड्रोप करने का निवेदन किया गया है।

Scanned with CamScanner

गैर सायल के जवाब नोटिस के उपरान्त उक्त अतिक्रमण की पुष्टि के लिए भू.अ. नि. तथा पटवारी हल्का सिंघाना से पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसके फलस्वरूप जांच कर्ताओं ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त राजकीय भूमि का आबादी क्षेत्र में होना तथा अतिक्रमित भूमि का आवासीय भूमि में उपयोग न होकर वाणिज्यक प्रयोग में लिया जाना बताया गया है। तथा गैर सायल को बेदखल करने की अनुशंसा की गई है।

बहस अधिवक्ता गैरसायल सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल ने धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र से बाहर की होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही ड्राप करने की अनुशंसा की। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब नोटिस एवं उसके सलंग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बगौर मनन किया गया। प्रथमतया अतिक्रमी का अतिक्रमण पुनः जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना साबित होना पाया जाता है।

लिहाजा अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल मनोज पुत्र बाबू लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. को ग्राम सिंघाना के ख0न0 308 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म ,बारानी–2, ,ख0न0 305 रकबा 0.22 हैक्टेयर गै.मु. सड़क में से 0.05 हे0 भूमि पर ,मकान, चार दीवारी,चबूतरा बनाकर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप लगान 0.25 का 50 गुणा जुर्माना राशि 12.50 रु बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार बुहाना /भू0अ0नि0 सिंघाना/पटवारी हल्का सिंघाना को वास्ते जमा कायमी /बेदखली/वसूली की जाकर राशि राजकोष में जमा कराने हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक सिंघाना को राजकीय भूमि से अतिक्रमण भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर फैसल शुमार रहे।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपचन्द मीणा)
उप तहसीलदार सिंघाना